भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 418

बुधवार, 19 जुलाई, 2017/28 आषाढ़, 1939 (शक)

सेवानिवृत्ति के समय भविष्य निधि/कर्मचारी भविष्य निधि का निपटारा

418. डा. प्रदीप कुमार बालमुचू:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्ति के लिए सेवानिवृत्ति के दिन ही भविष्य निधि/कर्मचारी भविष्य निधि, उपदान आदि का निपटारा करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारु दत्तात्रेय)

(क) और (ख): कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 और कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 के सदस्यों को सेवानिवृत्ति की तारीख को ही भविष्य निधि और पेंशन का भुगतान करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश जारी किए गए हैं।

उपदान के निपटारे के संबंध में उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के अनुसार, नियोजक उस व्यक्ति को जिसको उपदान देय है, उपदान देय होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उपदान की राशि का भुगतान करने का प्रबंध करेगा ।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 427

बुधवार, 19 जुलाई, 2017 / 28 आषाढ़ 1939 (शक)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत निजी भविष्य निधि न्यासों को लाने का प्रस्ताव

427. श्री डी. कुपेन्द्र रेड्डी:

क्या **श्रम और रोज़गार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के दायरे में सैकड़ों निजी भविष्य निधि न्यासों को लाने का विचार रखती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारु दत्तात्रेय)

*****

(क) और (ख): जी नहीं। तथापि, जिन निजी भविष्य निधि न्यासों ने कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध (ईपीएफ एवं एमपी) अधिनियम, 1952 के अंतर्गत छूट ली है, वे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की निगरानी तथा नियंत्रण के अधीन हैं।

******

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1069

(जिसका उत्तर 25 जुलाई, 2017/ 3 श्रावण, 1939 (शक) को दिया जाने वाला है।)

कर्मचारी भविष्य निधि अभिदाताओं को प्रतिबद्घता लाभ दिया जाना

1069. श्री धर्मपुरी श्रीनिवास:

श्री एन गोकुलकृष्णन:

डा प्रदीप कुमार बालमुचू:

श्री टी जी वेंकटेश:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि के अभिदाताओं को प्रतिबद्घता लाभ योजना के तहत लाभ का भुगतान किए जाने की ईपीएफओ की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि इस प्रतिबद्घता लाभ योजना के तहत भुगतान के लिए एक स्लैब सिस्टम विद्यमान है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्तराज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : जी, नहीं।

(ख)एवं(ग): प्रश्न नहीं उठता।

******

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1214

बुधवार, 26 जुलाई, 2017/4 श्रावण, 1939 (शक)

एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की निधि का निवेश

1214. श्रीमती विजिला सत्यानंत:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में पहले वर्ष यानी 2015-16 में 6577 करोड़ रुपये और 2016-17 में 14,982 करोड़ रुपये का निवेश किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि ईपीएफओ 2017-18 के दौरान ईटीएफ में 20,000 करोड़ रुपये का निवेश करने पर विचार कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारु दत्तात्रेय)

(क) और (ख): एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ईटीएफ) में निवेश का विवरण निम्नानुसार है:-

2015-16 (आंकड़े करोड़ रुपये में)

एसबीआई निफ्टी 50 ईटीएफ	4,922
एसबीआई सेंसेक्स ईटीएफ	1,655
कुल	6,577

2016-17 (आंकड़े करोड़ रुपये में)

एसबीआई निफ्टी 50 ईटीएफ	7,912
एसबीआई सेंसेक्स ईटीएफ	2,691
यूटीआई निफ्टी 50 ईटीएफ	1,911
यूटीआई सेंसेक्स ईटीएफ	662
सीपीएसई ईटीएफ	1,808
कुल	14,984

(ग) और (घ): केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि ने दिनांक 27.05.2017 को आयोजित अपनी 218वीं बैठक में ईटीएफ में निवेश सीमा को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने की सिफारिश की है। तदनुसार, वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए ईटीएफ में अनुमानित निवेश लगभग 22,500 करोड़ रुपये है।

***

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2019

बुधवार, 02 अगस्त, 2017/ 11 श्रावण, 1939(शक)

ई पी एफ अंशदानों के आसान जमा और निकासी के लिए बैंकों के साथ समझौता

2019. डॉ. के. वी. पी. रामचन्द्र राव:

क्या **श्रम और रोज़गार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (ई पी एफ) के अंशदानों के आसान जमा और निकासी के लिए बैंकों के साथ समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे लेन-देन के लिए कौन-कौन से बैंकों ने सरकार के साथ समझौता किया है; और

(घ) क्या ऐसे समझौते सरकार के प्रशासनिक खर्चों को कम कर देंगे?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) से (घ): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ईपीएफओ की प्राप्य राशि को जमा करने तथा लाभार्थियों को भविष्य निधि आहरण, पेंशन तथा बीमा राशि का भुगतान करने हेतु 10 बैंकों के साथ टाईअप/समझौता किया है। ये बैंक- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक तथा कोटक महिंद्रा बैंक हैं।

इस बहुबैंकिंग व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य नियोक्ताओं को कर्मचारी भविष्य निधि का अंशदान सीधे अपने बैंक खातों से अंतरित करने हेतु अधिक विकल्प उपलब्ध कराना है। इससे न केवल लेनदेन किफायती होंगे बल्कि नेट बैंकिंग के माध्यम से निधियों का वास्तविक समय में अंतरण करना भी सुनिश्चित होगा।

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2020

बुधवार, 02 अगस्त, 2017/ 11 श्रावण, 1939(शक)

असंगठित क्षेत्र में नियुक्त व्यक्तियों को यूनिवर्सल अकाउंट नम्बर

2020. डॉ. आर. लक्ष्मणन:

क्या **श्रम और रोज़गार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार असंगठित क्षेत्र में नियुक्त सभी व्यक्तियों को यूनिवर्सल अकाउंट नम्बर प्रदान कर पाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्य पद्धतियां अपनाई गई हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) से (ग): सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत कवर किए गए कामगारों को आवंटित की जाती है।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2026

बुधवार, 02 अगस्त, 2017 / 11 श्रावण, 1939 (शक)

कामगारों को श्रम संहिता के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा लाभ

2026. श्री टी. रतिनावेल:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार एक ऐसी श्रम संहिता लागू करने पर विचार कर रही है, जो स्व-नियोजित कामगारों और कृषि कामगारों सहित देश के समग्र जनबल को सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार पैंतालीस करोड़ कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने की मंशा रखती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) से (घ): श्रम संबंधी द्वितीय राष्ट्रीय आयोग ने सिफारिश की है कि मौजूदा श्रम कानूनों का क्रियात्मक आधार पर, मोटे तौर पर चार या पांच श्रम संहिताओं में वर्गीकरण किया जाए। तदनुसार, इस मंत्रालय ने मौजूदा केन्द्रीय श्रम कानूनों के प्रासंगिक उपबंधों को सरलीकृत, आमेलित और युक्तियुक्त बनाकर के क्रमश: मजदूरी; औद्योगिक संबंध; सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण; और सुरक्षा एवं कार्यदशाओं संबंधी चार श्रम संहिताओं के प्रारूपण हेतु कदम उठाए हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 15 मौजूदा केन्द्रीय श्रम कानूनों को सरलीकृत, आमेलित तथा युक्तियुक्त बना करके सामाजिक सुरक्षा संबंधी श्रम संहिता 2017 का एक प्रारंभिक मसौदा तैयार किया है और इसे जनता/पणधारकों से टिप्पणियां मांगते हुए मंत्रालय की वेबसाइट पर 16.03.2017 को डाल दिया है। सामाजिक सुरक्षा संबंधी संहिता 2017 के उपबंध विचाराधीन हैं।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2028

बुधवार, 2 अगस्त, 2017/ 11 श्रावण, 1939 (शक)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा औसत पेंशन योग्य वेतन का परिकलन

2028. श्री डी. राजा:

क्या **श्रम और रोज़गार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिनांक 23 मार्च, 2017 के परिपत्र से पेंशन 1/12/33/ईपीएस संशोधन 96/खंड-II/34007 में मौजूद भेद-भाव पर गौर किया है जिसके द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सितम्बर 1994 को या उसके बाद पंद्रह हज़ार रुपये से अधिक का पेंशनयोग्य वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्यों को उच्चतर विकल्प का लाभ प्राप्त करने से वंचित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त परिपत्र से इस भेदभाव को हटाने हेतु कदम उठाएगी;

(ग) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सितम्बर 2014 के बाद सेवानिवृत्त हुए/सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए औसत पेंशनयोग्य वेतन का परिकलन सितम्बर 1994 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के लिए विहित बारह महीनों के वेतन के स्थान पर साठ महीनों के वेतन के आधार पर परिकलित करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस भेदभाव को सुधरने हेतु कदम उठाएगी?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारु दत्तात्रेय)

(क) और (ख): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा दिनांक 23.03.2017 के परिपत्र के माध्यम से प्रशासनिक निर्देश जारी किये गए हैं ताकि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार सरकार द्वारा अनुमोदित उच्च वेतन के आधार पर पात्र सदस्यों को पेंशन प्राप्त करने की अनुमति दी जा सके।

(ग) और (घ): कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस),1995 के अनुच्छेद 11 को दिनांक 22.08.2014 की अधिसूचना सं. सा.का.नि 609(अ) द्वारा संशोधित किया गया है जिसमें यह उपबंध है कि पेंशन योग्य वेतन निधि की सदस्यता से बाहर निकलने की तारीख से पूर्व 60 महीने की अवधि का औसत मासिक वेतन होगा।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2030

बुधवार, 02 अगस्त, 2017 / 11 श्रावण, 1939 (शक)

विनिमय व्यापार फंड (ईटीएफ) में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की धनराशि का निवेश

2030. श्रीमती रेणुका चौधरी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) विनिमय व्यापार फंड (ईटीएफ) में निवेश की सीमा को पंद्रह प्रतिशत तक बढ़ाने का विचार रखता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इक्विटी से जुड़े निवेश के अनुपात को बढ़ाने से पहले अधिकतम लाभ की प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु विनिमय व्यापार फंड (ईटीएफ), प्रतिभूति में निवेश के नकदीकरण और राज्य ऋणों के लिए कए निर्गम नीति बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) और (ख): 27.05.2017 को आयोजित अपनी 218वीं बैठक में केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी), कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) द्वारा विनिमय व्यापार निधियों (ईटीएफ) में निवेश की सीमा को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने की सिफारिश की गई है।

(ग): ईटीएफ में निवेशों के लेखांकन हेतु नीति को 27.05.2017 को आयोजित उसकी 218वीं बैठक में सीबीटी, ईपीएफ के समक्ष रखा गया तथा सीबीटी द्वारा कोई अंतिम सिफारिश नहीं की गई है।

*****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2031
बुधवार, 2 अगस्त, 2017/11 श्रावण, 1939 (शक)
बेरोज़गारी दर का बढ़ना

2031. श्री देरेक ओब्राईनः

क्या श्रम और रोज़गार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 2014 से लेकर वर्ष 2016 के दौरान बेरोज़गारी दर में लगातार वृद्धि हुई है;
(ख) जनवरी 2017 से लेकर जून 2017 तक प्रतिमाह बेरोज़गारी दर कितनी-कितनी थी और वर्ष 2014-15 और वर्ष 2015-16 के दौरान इसी अवधि में ये आंकड़े क्या थे;
(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रधान मंत्री रोज़गार योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि संवितरित की गई; और
(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत कितने लोग लाभान्वित हुए हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

क)और खश्रम ब्यूरो :(, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा रोजगारी और बेरोजगारी पर आयोजित किए गए श्रम बल सर्वेक्षणों के परिणाम के अनुसार 2013-2015 और 2014-वर्ष और उससे अधिक आयु 15 में 16 के व्यक्तियों की सामान्य स्थिति आधार परअनुमानित बेरोजगारी दर क्रमशः 3.4% और 3.7% थी। 2017-वार आंकड़े उपलब्ध नहीं है-के लिए माह 18ं।

ग)और घ भारत (सरकार ने एक ऋण संबद्ध राजसहायता योजना के रूप में प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम) तैयार करने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार योजना (.पी.जी.ई.एम.पी)पीऔर (.वाई.आर.एम. का विलय कर दिया है (.पी.जी.ई.आर) ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (.ई.एम.एस.एम)2008-09 से बैंकों के माध्यम से पीलागू कर रहा है। प्रधान मंत्री .पी.जी.ई.एम. रोजगारसृजन कार्यक्रम के तहत इकाइयों को उपलब्ध कराई गई मार्जिन राशि और सृजित रोजगार नीचे दिया गया है:

वर्ष	**दी गई मार्जिन राशि (करोड़ रुपए में)**	**सृजित अनुमानित रोजगार (लाख व्यक्तियों में)**
2014-15	1122.5	3.58
2015-16	1020.1	4.08
2016-17	1280.9	3.23
2017-18	226.7 (09.07.17 को)	0.62 (30.06.2017 तक)

****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2648
बुधवार, 9 अगस्त, 2017/18 श्रावण, 1939 (शक)

वर्ष 2016-17 में प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत खर्च की गई धनराशि

2648. श्रीमती अम्बिका सोनीः
डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डीः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गत दो वर्षों में रोजगार संबंधी वृद्धि में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) निजी क्षेत्र और सूचना प्रौद्योगिकी/बीपीओ, हथकरघा/विद्युत करघा, वस्त्र, ऑटोमोबाइल आदि जैसे प्रमुख क्षेत्रों सहित देश में रोजगार का सृजन करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत 2016-17 में कितनी धनराशि खर्च की गई है और वास्तव में रोजगार के कितने अवसरों का सृजन किया गया है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) से (घ): सितम्बर, 2008 से भारत में रोजगार पर आर्थिक मंदी के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए श्रम ब्यूरो, चुनिंदा श्रम गहन एवं निर्यात उन्मुखी सेक्टरों यथा, कपड़ा, चमड़ा, धातु, ऑटोमोबाइल, रत्न एवं आभूषण, परिवहन, आईटी/बीपीओ तथा हथकरघा/पावरलूम में तिमाही त्वरित रोजगार सर्वेक्षण करता रहा है। तिमाही त्वरित रोजगार सर्वेक्षण के दायरे को भी और अधिक उद्योगों/क्षेत्रों के साथ 2016 के दौरान बढ़ाया गया है। विगत दो वर्षों के सर्वेक्षणों के परिणाम अनुबंध- I एवं II में दिए गए हैं।

सरकार ने देश में रोजगार सृजन हेतु विभिन्न उपाय किए हैं - जैसे अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना, व्यापक निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को तीव्रता से निष्पादित करना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (एमजीनरेगा), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) और दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करना। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया योजनाएं सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं तथा इनसे रोजगार आधार बढ़ने की संभावना है। स्व-रोजगार को सुगम बनाने के लिए सरकार द्वारा मुद्रा एवं स्टार्ट अप्स योजना आरंभ की गई है।

विनिर्माण, प्रसंस्करण, ट्रेडिंग, स्व-रोजगार के संवर्द्धन हेतु कृषि से संबंधित सेवाओं तथा कार्यकलापों हेतु लघु/सूक्ष्म व्यापारिक उपक्रमों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के लिए बैंकों, गैर बैंकिग वित्तीय कम्पनियों (एनबीएफसीज) तथा सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों (एमएफआइज) द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) योजना के तहत ऋण प्रदान किए गए हैं।

देश में कपड़ा उद्योग को गति प्रदान करने के लिए सरकार प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस), तकनीकी कपड़ों के विकास हेतु योजना, विद्युतकरघा क्षेत्र के विकास हेतु योजनाएं, एकीकृत वस्त्र पार्कों हेतु योजना (एसआईटीपी), एकीकृत कौशल विकास योजना (आईएसडीएस), रेशम एवं रेशम-उत्पादन क्षेत्रों के विकास हेतु योजनाएं, राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी), बृहत् हथकरघा समूह विकास योजना (सीएचसीडीएम), सूत आपूर्ति योजना, राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी), पूर्वोत्तर क्षेत्र कपड़ा संवर्द्धन योजना (एनईआरटीपीएस) इत्यादि जैसी अनेक नीतिगत पहलों एवं योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है। गत वर्ष, भारत सरकार ने कपड़ा क्षेत्रों के प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (ए-टीयूएफएस) को अधिसूचित किया था। सरकार विद्युतकरघा क्षेत्र के विकास हेतु एक वृहद योजना, पावरटेक्स इंडिया का भी कार्यान्वयन कर रही है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने विशेषकर परिधान एवं बने-बनाए वस्त्र क्षेत्र में रोजगार सृजन एवं निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए 6000 करोड़ रु. के परिव्यय से कपड़ा क्षेत्र हेतु एक विशेष पैकेज को भी अनुमोदित किया था।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय वर्ष 2016-17 से 1000 करोड़ रुपए के आबंटन के साथ रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए उद्योग को प्रोत्साहित करने हेतु "प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना" कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के तहत नियोक्ताओं को रोजगार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा, जहां 3 वर्षों की अवधि के लिए नए कर्मचारियों के लिए नियोक्ता के 8.33% ईपीएस अंशदान का भुगतान सरकार करेगी। कपड़ा (परिधान एवं बने-बनाए वस्त्र) क्षेत्र में, सरकार 8.33% के ईपीएस अंशदान का भुगतान करने के अतिरिक्त नियोक्ताओं के 3.67% ईपीएफ अंशदान का भी भुगतान करेगी। योजना के तहत लाभ 09 अगस्त, 2016 से उपलब्ध हैं तथा 3.02 लाख नए कर्मचारियों को शामिल करते हुए 6588 से अधिक प्रतिष्ठानों ने 31,04,05,612/- रु. की धनराशि का लाभ उठाया है।

सरकार ने रोजगार चाहने वालों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण एवं रोजगारों को पोस्ट करने तथा रोजगार संबंधी अन्य सेवाएं प्रदान करने हेतु एक पोर्टल (www.ncs.gov.in) राष्ट्रीय आजीविका सेवा का भी कार्यान्वयन किया है।

अनुबंध-I

राज्य सभा के दिनांक 09-08-2017 के अतारांकित प्रश्न सं. 2648 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

श्रम ब्यूरो द्वारा संचालित तिमाही त्वरित रोजगार सर्वेक्षणों के अनुसार 8 प्रमुख क्षेत्रों में रोजगार वृद्धि का विवरण

(लाख में)

क्र.सं.	उद्योग/समूह	जन. 14 से दिस. 14	जन. 15 से दिस. 15
1	2	4	5
1	कपड़ा	1.41	0.72
2	चमड़ा	-0.07	-0.08
3	धातु	0.74	0.37
4	ऑटोमोबाइल	0.25	-0.08
5	रत्न एवं जेवरात	0.11	-0.19
6	परिवहन	-0.11	-0.04
7	आईटी/बीपीओ	1.93	0.76
8	हथकरघा/पावरलूम	-0.05	-0.11
योग (वर्षवार)		4.21	1.35

अनुबंध-II

राज्य सभा के दिनांक 09-08-2017 के अतारांकित प्रश्न सं. 2648 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

प्रथम चरण में कुल रोजगार के संबंध में सेक्टर-वार ब्यौरे और दूसरे, तीसरे और चौथे चरणों में रोजगार के परिवर्तन के अनुमान निम्न प्रकार प्रस्तुत हैं:

रोजगार का क्षेत्र-वार परिवर्तन					
क्र.स.	क्षेत्र	रोजगार का स्तर अनुमान (प्रथम चरण) और परिवर्तन अनुमान (दूसरा, तीसरा और चौथा चरण) (लाख में)			
		परिवर्तन अनुमान (1 अप्रैल, 2016 की तुलना में 1 जुलाई, 2016)	परिवर्तन अनुमान (1 जुलाई, 2016 की तुलना में 1 अक्तूबर, 2016)	परिवर्तन अनुमान (1 अक्तूबर, 2016 की तुलना में 1 जनवरी, 2017)	परिवर्तन अनुमान (जुलाई-दिसम्बर, 2016)
1	विनिर्माण	-0.12	0.24	0.83	0.95
2	निर्माण	-0.23	-0.01	-0.01	-0.25
3	व्यापार	0.26	-0.07	0.07	0.26
4	परिवहन	0.17	0.00	0.01	0.18
5	आवास और रेस्तरां	0.01	-0.08	0.00	-0.07
6	आईटी/बीपीओ	-0.16	0.26	0.12	0.22
7	शिक्षा	0.51	-0.02	0.18	0.67
8	स्वास्थ्य	0.33	0.00	0.02	0.35
	कुल	0.77	0.32	1.22	2.31

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2665

बुधवार, 09 अगस्त, 2017 / 18 श्रावण, 1939 (शक)

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत सरकार के हिस्से का अंशदान बढ़ाना

2665. श्रीमती कानीमोझी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कोशियारी समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार महंगाई भत्ते के साथ-साथ न्यूनतम 3000 रुपये की मासिक पेंशन के स्तर को बनाए रखने हेतु कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत सरकार के हिस्से को मौजूदा 1.16 प्रतिशत से बढ़ाकर 8.33 प्रतिशत करेगी, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार कर्मचारी भविष्य निधि योजना के पेंशनभोगियों के लिए व्यापक चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करने हेतु इन पेंशनभोगियों को उनके पेंशन से किसी धनराशि की कटौती किए बिना कर्मचारी राज्य बीमा योजना की सुविधा प्रदान करेगी, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार पेंशनभोगियों के पेंशन के संराशिकृत हिस्से को बहाल करने हेतु पेंशनभोगियों के संराशिकरण के अधिकार को बहाल करेगी?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क): वित्तीय विवशताओं के कारण, कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस),1995 के अंतर्गत सरकार के हिस्से के अंशदान को 1.16 प्रतिशत से बढ़ाकर 8.33 प्रतिशत कर दिए जाने को स्वीकार नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, कोशयारी समिति यथा संस्तुत मुद्रास्फीति के निष्प्रभावीकरण को भी स्वीकार नहीं किया गया है।

तथापि, सरकार ने दिनांक 01.09.2014 से ईपीएस,1995 के अंतर्गत पेंशनभोगियों को प्रतिमाह 1000/- रुपये की न्यूनतन पेंशन प्रदान करना शुरू कर दिया है।

(ख) और (ग): इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2666

बुधवार, 09 अगस्त, 2017 / 18 श्रावण, 1939 (शक)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा विनिमय व्यापार फंड के माध्यम से शेयर बाजार में निवेश

2666. श्री टी. रतिनावेल:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक विनिमय व्यापार फंड के माध्यम से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा शेयरों में निवेश 45,000 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर जाएगा;

(ख) क्या यह भी सच है कि गत वर्ष इस निवेश पर प्राप्त लाभ की दर 13.3 प्रतिशत थी; और

(ग) क्या यह भी सच है कि अप्रैल, 2017 तक शेयरों में 21,559 करोड़ रुपये का निवेश किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क): जी, नहीं।

(ख): जी, नहीं।

(ग) और (घ): जी, हां। विवरण निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रुपये में)

एसबीआई निफ्टी 50 और सेंसैक्स ईटीएफ	17,178.99
यूटीआई निफ्टी 50 और सेंसैक्स ईटीएफ	2,573.06
सीपीएसई ईटीएफ	1,807.81
कुल	21,559.86

****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

***तारांकित प्रश्न संख्या 33**

बुधवार, 19 जुलाई, 2017/28 आषाढ़, 1939 (शक)

कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान

***33. श्री संजय सेठ:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कर्मचारी भविष्य निधि में कर्मचारियों तथा नियोक्ताओं के अंशदान को बारह प्रतिशत से घटाकर दस प्रतिशत किये जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कदम का उद्देश्य क्या है;

(ग) क्या कर्मचारी संघों, नियोक्ता संघों के प्रतिनिधियों और राज्य सरकारों ने इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त प्रस्ताव के विरोध पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अंशदान को राष्ट्रीय पेंशन योजना जैसे अन्य बचत माध्यमों के समतुल्य लाने के लिए अन्य क्या-क्या कदम उठाये हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारु दत्तात्रेय)

(क) से (च): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

* ***

कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान के संबंध में श्री संजय सेठ द्वारा दिनांक 19.07.2017 को पूछे जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 33 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (च): कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध (ईपीएफ एण्ड एमपी)अधिनियम, 1952 के अंतगर्त नियोक्ता तथा कर्मचारी द्वारा भुगतान किए जाने वाले अंशदान को अन्य बचत दस्तावेजों यथा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, अंशदायी भविष्य निधि आदि के समतुल्य लाने के उद्देश्य से, दिनांक 27.05.2017 को आयोजित केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी), कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) की 218वीं बैठक में अंशदान की मौजूदा दर को 12% से कम करके 10% करने हेतु एक कार्यसूची मद पर विचार-विमर्श किया गया था। सभी कर्मचारी तथा नियोक्ता प्रतिनिधि एवं राज्य सरकार के प्रतिनिधि अंशदान की दर को 12% से कम करके 10% करने के खिलाफ थे। सरकार ने अंशदान की दर को 12% से घटाकर 10% करने पर आगे कोई कार्रवाई नहीं की है।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

***तारांकित प्रश्न संख्या 184**

बुधवार, 2 अगस्त, 2017/ 11 श्रावण, 1939 (शक)

कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज की दर

***184. श्री नारायण लाल पंचारिया:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कम ब्याज दरों के मौजूदा दौर में क्या सरकार का कर्मचारी भविष्य निधि पर देय ब्याज दर को बाजार की ब्याज दर से अधिक रखने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार कर्मचारी भविष्य निधि योजना का दायरा बढ़ाने के लिए इस योजना के अंतर्गत वेतन सीमा को बढ़ाये जाने पर विचार कर रही है; और

(ग) सरकार ने अंशदान, प्रतिलाभों और दावों के निपटारे के डिजीटलीकरण के लिए क्या-क्या कदम उठाये हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारु दत्तात्रेय)

(क) से (ग): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*

****

कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज की दर के संबंध में श्री नारायण लाल पंचारिया द्वारा दिनांक 2.8.2017 को पूछे जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 184 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) पर ब्याज दर का निर्धारण ईपीएफ में कुल निवेश कोष पर संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित ब्याज आय के आधार पर किया जाता है।

(ख): कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना, 1952 के अंतर्गत योजना की व्याप्ति में विस्तार करने के लिए समय-समय पर वेतन सीमा में संशोधन किया जाता है तथा इसे 13 वर्ष के अंतरात के पश्चात्, 01.09.2014 से 6500/-रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 15000/-रुपये प्रतिमाह किया गया ।

(ग): अंशदान, विवरणियों और दावों के निपटान के डिजीटलीकरण हेतु कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) दिसम्बर, 2016 से सभी नियोक्ताओं से अंशदान केवल 'ऑनलाइन मोड' के माध्यम से ही प्राप्त किए जाते हैं।

(ii) विवरणियां भी प्रतिमाह भुगतान के साथ एकीकृत ऑनलाइन मोड के माध्यम से ही प्राप्त की जाती हैं जिसे इलैक्ट्रॉनिक चालान-सह-विवरणी के नाम से जाना जाता है।

(iii) सदस्य की आधार संख्या को सदस्य के सार्वभौमिक खाता संख्या के साथ संबद्ध करने एवं उसे सत्यापित करने के आधार पर सभी प्रकार के दावों के लिए ऑनलाइन दावे प्रस्तुत करने की सुविधा उपलब्ध करायी गई है।

*****

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

* * *

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या : 257

(दिनांक 10.08.2017 को उत्तर के लिए)

उच्च न्यायालयों/केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण
(कैट) के आदेशों को क्रियान्वित न किया जाना

***257. सरदार बलविन्दर सिंह भुंडरः**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कई मंत्रालय गत पांच वर्षों से अधिक समय से उच्च न्यायालयों/केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) के न्यायिक आदेशों को क्रियान्वित नहीं कर रहे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ख) क्या सरकार को केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) के आदेशों को किसी मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित न किए जाने के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) के आदेशों को क्रियान्वित न किए जाने के संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (ख) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

उच्च न्यायालयों/केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) के आदेशों को क्रियान्वित न किए जाने के संबंध में दिनांक 10.08.2017 को सरदार बलविन्दर सिंह भुंडर द्वारा राज्य सभा के तारांकित प्रश्न सं. 257 के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ख) : जी, नहीं। माननीय उच्च न्यायालयों अथवा केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) के आदेशों को जानबूझकर क्रियान्वित न करने का कोई मामला संज्ञान में नहीं आया है। सरकार उच्च न्यायालयों/केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरणों का बहुत सम्मान करती है और उनके आदेशों के प्रति सरकार में अत्यधिक आदर का भाव है। सरकार को इस बात की भी पूरी जानकारी है कि न्यायालय के आदेश को क्रियान्वित न करने से न्यायालय की अवमानना होगी जिससे सभी संबंधित कार्मिकों को दंड भी मिल सकता है। केवल उसी मामले में आदेशों को क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है जब उच्चतर न्यायिक फोरम के समक्ष न्यायालय के आदेशों की न्यायिक समीक्षा अपेक्षित हो और उस पर निर्णय लंबित हो।

माननीय उच्च न्यायालय/कैट के आदेशों को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी संबंधित मंत्रालयों/विभागों की होती है और प्राप्त हुए न्यायालयी आदेशों के कार्यान्वयन अथवा गैर-कार्यान्वयन के संबंध में आंकडों का रख-रखाव केंद्रीकृत रूप से नहीं किया जाता है।

तथापि, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने दिनांक 16.03.2016 के कार्यालय ज्ञापन सं. 28027/1/2016-स्था.क-।।।(प्रति संलग्न) के तहत सभी मंत्रालयों/विभागों को न्यायालय से प्राप्त आदेशों पर सावधानीपूर्वक कार्रवाई करने तथा न्यायालयी मामले के प्रत्येक स्तर पर समय से कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश/अनुदेश जारी किए हैं। मुकदमेबाजी का सहारा लेकर मामले को इतना लंबा नहीं खींचा जाना चाहिए कि इससे अवमानना की कार्रवाई शुरू हो जाए।

फा. सं. 28027/01/2016-स्था.क-III
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
स्थापना प्रभाग
*****

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001
दिनांक 16 मार्च, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषयः सेवा संबंधी मामलों में भारत सरकार के अनुदेशों के विरुद्ध अदालती आदेश- अपील दायर करने के प्रश्न पर विधि मंत्रालय तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के साथ परामर्श।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 01 मई, 2000 के का.ज्ञा. सं. 28027/9/99-स्था.(क) (प्रति संलग्न) का संदर्भ देने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग नोडल विभाग है जो सेवा मामलों के संबंध में नीतियां बनाता है तथा समय-समय पर अनुदेश जारी करता है। इन अनुदेशों का केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा निष्ठापूर्वक अनुपालन करना अपेक्षित होता है। कर्मचारियों द्वारा दायर किए गए सभी अदालती मुकदमों का इस विभाग द्वारा उक्त विषय पर जारी किए गए अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर बचाव किया जाता है।

2. दिनांक 25.02.1994 के मंत्रिमंडल सचिवालय के अर्द्ध-शासकीय पत्र सं. 6/1/1/94-मंत्रिमंडल तथा दिनांक 16.05.2012 के व्यय विभाग के का.ज्ञा. सं. 7(8)/2012-स्था-II(क) का संदर्भ दिया जाता है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया जाता है कि (i) संबंधित प्रशासनिक विभाग/मंत्रालय, जहां याचिकाकर्ता सेवारत है अथवा उसने अंतिम बार सेवा की है, द्वारा भारत संघ की ओर से न्यायालय के समक्ष सामान्य प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया जाना चाहिए; और (ii) उक्त उत्तर में प्रत्येक विभाग/मंत्रालय के दृष्टिकोण को उजागर करने के बजाय एक समेकित दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि यह सुनिश्चित करना मुख्यतः प्रशासनिक मंत्रालय का उत्तरदायित्व है कि किसी अदालती मामले में प्रत्येक चरण पर समयबद्ध कार्रवाई की जाए तथा भारत सरकार की ओर से प्रत्येक ऐसे चरण पर एक समेकित दृष्टिकोण अपनाया जाए। किसी भी स्थिति में मुकदमेबाजी को उस हद तक नहीं बढ़ने देना चाहिए कि वह अवमानना की श्रेणी में आ जाए।

3. तथापि, यह देखा जाता है कि मंत्रालय/विभाग भलीभांति विचार किए बिना इस विभाग को अनेक संदर्भ भेज रहे हैं तथा दिशानिर्देशों की व्याख्या करने के लिए कह रहे हैं। **मंत्रालयों/विभागों को इस विभाग को तब तक कोई संदर्भ न भेजने की सलाह दी जाती है जब तक कि इन दिशानिर्देशों की व्याख्या/अनुप्रयोग से संबंधित कठिनाइयां विद्यमान न हों अथवा सरकारी सेवक द्वारा सामना की जाने वाली किसी वास्तविक कठिनाई को कम करने के लिए नियमों/अनुदेशों में ढील दी जानी आवश्यक न हों।** इस विभाग की सलाह मांगते समय, इस विभाग के दिनांक 28.10.2015 के का.ज्ञा. सं. 43011/9/2014-स्था. (घ) में निहित अनुदेशों का अनुसरण किया जाए।

4. अदालती मुकदमों का निपटान निम्नलिखित तरीके से किया जाना चाहिएः-

क्र.सं.	न्यायालय के आदेश	की गई कार्रवाई
1.	अधिकरण/न्यायालय द्वारा एक निर्णय/आदेश को इस आधार पर निरस्त कर दिया गया है कि उससे नियमों/सरकारी अनुदेशों का उल्लंघन होता है, लेकिन प्रतिकूल टिप्पणियों के लिए सरकार ने कोई नीति नहीं बनायी है।	प्रशासनिक विभाग केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) के आदेश/निर्णय को लागू करें, यदि यह सरकारी नीति के अनुरूप है तथा सरकारी मुकदमा प्रशासनिक कमियों के कारण सरकार मुकदमा हार चुकी है।
2.	जिन मामलों में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की नीति को निरस्त नहीं किया गया है, किन्तु अधिकरण/उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय का निर्णय/आदेश प्रतिवादियों/आवेदनकर्ताओं के पक्ष में हुआ है। (क) उक्त ऐसे मामले जिनमें, प्रशासनिक मंत्रालय निर्णय के क्रियान्वयन के पक्ष में है। (ख) उक्त ऐसे मामले जिनमें, रिट याचिका/विशेष अनुमति याचिका (जैसा मामला हो) दायर करने के लिए निर्णय लिया जाना होता है।	- प्रशासनिक मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा विधिक कार्य विभाग के परामर्श से निर्णय ले सकता है। - प्रशासनिक विभाग विधिक कार्य विभाग (डीओएलए) तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के परामर्श से रिट याचिका/विशेष अनुमति याचिका (जैसा मामला हो) दायर करने के लिए निर्णय ले सकता है।
3.	जहां अधिकरण/उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय का निर्णय/आदेश प्रतिवादियों/आवेदनकर्ताओं के पक्ष में हुआ है तथा सरकारी नीति को दर्शाने वाली योजना/दिशानिर्देश/कार्यालय ज्ञापन निरस्त कर दिए गए हैं।	प्रशासनिक विभाग विधिक कार्य विभाग तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के परामर्श से रिट याचिका/विशेष अनुमति याचिका (जैसा मामला हो) दायर करने के लिए निर्णय ले सकता है। संदर्भ इस विभाग को कम से कम एक सप्ताह पूर्व भेजे जाने चाहिए ताकि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में उनकी भलीभांति परीक्षण किया जा सके।
4.	केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण अथवा उच्चतर न्यायालय ने सरकार के दृष्टिकोण का समर्थन किया है।	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को केवल सभी विवरणों के विषय में सूचित किया जाए।

(मुकेश चतुर्वेदी)
निदेशक (स्थापना)
दूरभाष: 23093176

सेवा में,

सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव (मानक सूची के अनुसार)

प्रतिलिपि प्रेषितः-

1. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
2. उप-राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
3. प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली।
4. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली।
5. राज्य सभा सचिवालय/लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
6. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।
7. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
8. सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली।
9. कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के सभी संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय।
10. सचिव, संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी (जेसीएम), 13, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली।
11. सभी मंत्रालयों/विभागों के केन्द्रीय सतर्कता अधिकारी।
12. एडीजी (एम एवं सी), प्रेस सूचना ब्यूरो, डीओपीटी।
13. एनआईसी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली (उक्त को कार्यालय ज्ञापन एवं आदेश→ स्थापना→विविध शीर्षक के अंतर्गत इस मंत्रालय की बेवसाइट पर अपलोड करने के लिए)।

(मुकेश चतुर्वेदी)
निदेशक (स्थापना)
दूरभाष: 23093176

संख्या-28027/9/99-स्था॰(क)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक / मई ,2000

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सेवा मामलों पर भारत सरकार के अनुदेशों के विरुद्ध न्यायालय के आदेश- न्यायालयों के आदेशों का कार्यान्वियन करने से पूर्व अपील दायर करने के प्रश्न पर विधि मंत्रालय और कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग से परामर्श ।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि इस विभाग के ध्यान में यह बात आयी है कि ऐसे मामले, जिनमें न्यायालयों ने भारत सरकार के अनुदेशों के विरुद्ध आदेश पारित किए हैं, उनमें प्रशासनिक मंत्रालय/विभागों ने ऐसे आदेशों के कार्यान्वियन से पूर्व, उनके विरुद्ध अपील दायर करने के प्रश्न के संबंध में विधि मंत्रालय से परामर्श नहीं किया है ।

2॰ इस मामले पर इस विभाग में विचार किया गया है तथा यह निर्णय लिया गया है कि जब कभी सेवा मामलों के संबंध में भारत सरकार के अनुदेशों के विरुद्ध न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित किया जाता है, तो प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/ कार्यालय , ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील दायर करने के प्रश्न पर, जहां तक सम्भव हो सके, समय रहते अर्थात समय-सीमा यदि उक्त आदेश में कोई निर्धारित की गई हो, से पहले अथवा ऐसी अपील को दायर करने की समय-सीमा से पहले विधि कार्य विभाग और कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग से परामर्श करेंगे । संबंधित विभागों/ मंत्रालयों द्वारा इस तरह का कोई भी आदेश, सबसे पहले विधि कार्य विभाग को तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को सलाह के लिए भेजा जाएगा और उसके बाद उसे कार्यान्वित किया जाएगा ।

3॰ मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि उक्त अनुदेशों को कड़ी अनुपालना के लिए ध्यान में रखा जाए ।

4॰ ये अनुदेश भारतीय लेखा-परीक्षा तथा लेखा विभाग पर लागूकरण हेतु नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं ।

सेवा में,

भारत सरकार के सभी
मंत्रालय/विभाग आदि ।

शाश्वती बन्द्योपाध्याय।

(श्रीमती एस॰ बन्दोपाध्याय)
निदेशक

प्रतिलिपि :-

1. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली ।
2. संघ लोक सेवा आयोग।
3. केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
4. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली।
5. सभी संघ क्षेत्र प्रशासन।
6. लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
7. सचिव, राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम), 13-सी, फिरोज़शाह रोड, नई दिल्ली
8. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय के अधीन सभी संबद्ध कार्यालय ।

हा0/-
(श्रीमती एस. बन्दोपाध्याय)
निदेशक

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 394*

श्रीमती शशिकला पुष्पा, माननीय सांसद द्वारा

दिनांक 04.04.2018 के लिए प्रस्तुत

विषय: "इक्विटी बाजार में क.भ.नि. से निवेश में वृद्धि"

<table>
<tr><th>क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री कृपया यह बताएंगे कि:</th><th>श्रम एवं रोजगार मंत्री
(श्री संतोष कुमार गंगवार)</th></tr>
<tr><td>(क) क्या सरकार ने वर्ष 2015 से इक्विटी बाजार में निवेश के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (क.भ.नि.) से निवेश राशि की मात्रा को बढ़ाया है;</td><td rowspan="2">(क) एवं (ख) जी हां, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वर्ष 2015 से ई.टी.एफ. (इक्विटी) में निवेश की जाने वाली राशि को बढ़ाया है। कुल निवेश किए जाने वाले अधिशेष का ईटीएफ में वर्षवार आबंटन इस प्रकार है:-

<table><tr><td>वर्ष</td><td>आबंटन का प्रतिशत</td></tr><tr><td>2015-16</td><td>05%</td></tr><tr><td>2016-17</td><td>10%</td></tr><tr><td>2017-18</td><td>15%</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>(ख) यदि हां, तो वर्षवार सीमा सहित उसका विवरण;</td></tr>
<tr><td>(ग) क्या सरकार को सीमा में वृद्धि के साथ विभिन्न वर्षों में निवेश की गई राशि पर विभिन्न रिटर्न की दर प्राप्त करने की आशा है; एवं</td><td rowspan="2">(ग) एवं (घ) ईटीएफ (इक्विटी) एक बाजार से जुड़ा हुआ इंस्ट्रूमेंट है और इस प्रकार के निवेश पर रिटर्न की दर इक्विटी बाजार के निष्पादन पर निर्भर करेगी।</td></tr>
<tr><td>(घ) यदि ऐसा है तो, उसका विवरण दें;</td></tr>
</table>

राज्य सभा

“इक्विटी बाज़ार में क.भ.नि. से निवेश में वृद्धि पर”

मौखिक उत्तर के लिए

तारांकित प्रश्न **संख्या 394***

श्रीमती शशिकला पुष्पा

द्वारा

04.04.2018 के लिए

उठाया गया

अनुपूरकों के लिए नोट

विषय

प्रश्न 1: **क्या यह सही है कि क.भ.नि.सं. ने एक्सचेंज ट्रेडेड निधि (ई.टी.एफ.) में निवेश की सीमा को 15 % तक बढ़ाया है।**

प्रश्न 2: **क्या इक्विटी में निवेश को 15% से बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है?**

प्रश्न 3: **आप इक्विटी में कैसे निवेश कर रहे हैं ?**

प्रश्न 4: **प्रारंभ में, ई.ओ.एफ. में निवेश के लिए केवल एस.बी.आई. म्युच्युल फंड को ही क्यों चुना गया?**

प्रश्न 5: **ई.टी.एफ. में निवेश के लिए क्या एस.बी.आई. म्युच्युअल फंड के अलावा भी म्युच्युअल फंड की संख्या में वृद्धि का कोई प्रस्ताव है?**

प्रश्न 6: **क्या क.भ.नि.सं. व्यक्तिगत स्टॉक में निवेश करता है?**

प्रश्न 7: **निफ्टी 50 ई.टी.एफ. तक सैंसेक्स ई.टी.एफ. के बीच निधियों के आबंटन का अनुपात क्या है?**

प्रश्न 8: **क.भ.नि.सं. (क.भ.नि.सं.) द्वारा एक्सचेंज ट्रेडेड निधि (ई.टी.एफ.) में निवेश कुल राशि तथा उससे प्राप्त रिटर्न?**

प्रश्न 9: **क.भ.नि.सं. द्वारा सी.पी.एस.ई. तथा भारत 22 ई.टी.एफ. में निवेशित कुल राशि?**

प्रश्न 10: **पूंजी बाजार में निवेश के परिणामस्वरूप अंशदाताओं को कितना लाभ मिलेगा ?**

प्रश्न 11: **क्या ऐसे निवेश से अर्जित लाभांश को लाभार्थियों के खाते में जमा करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो इसका विवरण दें?**

प्रश्न 12: **इक्विटी से जुड़े निवेश के अनुपात को बढ़ाने से पहले रिटर्न बढ़ाने के लिए ईटीएफ प्रतिभूतियों तथा राज्य ऋणों में निवेश परिसमापन के लिए कोई बाहर्गमन नीति अपनाने के लिए सरकार द्वारा कया कदम उठाए गए हैं।**

प्रश्न 13: **क.भ.नि.सं. की समग्र निधि का किस प्रकार निवेश किया जाता है?**

प्रश्न 14: **क.भ.नि.सं. के वर्तमान ऋण पोर्टफोलियो प्रबंधक कौन हैं?**

प्रश्न 15: **क.भ.नि.सं. द्वारा वर्तमान में अपनाई जा रही निवेश पद्धति क्या है?**

प्रश्न 16: इक्विटी मार्केट में भविष्य निधि राशि के निवेश करने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा क्या तर्क दिए गए है?

प्रश्न 17: वित्त मंत्रालय के निवेश पद्धति 2015 को अपनाने के संबंध में केंद्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा क्या निर्णय लिया गया था?

प्रश्न 18: भविष्य निधि निवेश पर आय में वृद्धि के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रश्न 19: पोर्टफोलियों प्रबंधकों का कार्यकाल क्या है?

प्रश्न 20: पोर्टफोलियों प्रबंधकों के द्वारा क्या रिटर्न प्रजनित किए गए हैं?

<u>परिशिष्ट</u>

प्रश्न 1: क्या यह सही है कि क.भ.नि.सं. ने एक्सचेंज ट्रेडेड निधि (ई.टी.एफ.) में निवेश की सीमा को 15 % तक बढ़ाया है।

उत्तर : केंद्रीय बोर्ड, क.भ.नि. द्वारा दिनांक 27.05.2017 को आयोजित अपनी 218वीं बैठक में एक्सचेंज ट्रेडेड निधि (ई.टी.एफ.) में निवेश की सीमा 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया।

प्रश्न 2: क्या इक्विटी में निवेश को 15% से बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है?

उत्तर: अभी तक रिटायरमेंट निधि निकाय क.भ.नि.सं. द्वारा स्टॉक मार्केट में निवेश को 15 % की वर्तमान सीमा से बढ़ाने का क.भ.नि.सं. का कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्रश्न 3: आप इक्विटी में कैसे निवेश कर रहे हैं ?

उत्तर: वर्तमान में, क.भ.नि.सं. केवल निफ्टी 50 तथा सैंसेक्स इंडिसिस के एक्सचेंज ट्रेडेड निधि में निवेश कर रहा है।

प्रश्न 4: प्रारंभ में, ई.अी.एफ. में निवेश के लिए केवल एस.बी.आई. म्युच्युल फंड को ही क्यों चुना गया?

उत्तर**:** क.भ.नि.सं. ने एस.बी.आई. म्यूच्युअल फंड के ई.टी.एफ. में निवेश के साथ शुरूआत की क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक एक सार्वजनिक क्षेत्र की एंटिटि हैं तथा इसमें ई.अी.एफ. प्रोडक्ट दोनों संभावित इंडिसिस यानी निफ्टी 50 तथा सैंसक्स पर आधारित थी जब क.भ.नि.सं. ने ई.टी.एफ. में निवेश का निर्णय लिया।

प्रश्न 5: ई.टी.एफ. में निवेश के लिए क्या एस.बी.आई. म्युच्युअल फंड के अलावा भी म्युच्युअल फंड की संख्या में वृद्धि का कोई प्रस्ताव है?

उत्तर: जी हां, केंद्रीय बोर्ड ने ई.टी.एफ में निवेश के लिए ई.टी.एफ. निर्माता के रूप में यू.टी.आई. म्युच्युल फंड का अनुमोदन कर दिया है तथा क.भ.नि.सं. ने सितंबर, 2016 से यू.टी.आई. म्युच्युल फंड के द्वारा निवेश आरंभ कर दिया है।

प्रश्न 6: क्या क.भ.नि.सं. व्यक्तिगत स्टॉक में निवेश करता है?

उत्तर: जी नहीं । क.भ.नि.सं. वर्तमान में व्यक्तिगत स्टॉक में निवेश नहीं करता। केंद्रीय बोर्ड ने केवल एक्सचेंज ट्रेडेड निधि (ई.टी.एफ.) के माध्यम से निवेश का अनुमोदन किया है ।

प्रश्न 7: निफ्टी 50 ई.टी.एफ. तक सैंसेक्स ई.टी.एफ. के बीच निधियों के आबंटन का अनुपात क्या है?

उत्तर: निफ्टी 50 ई.टी.एफ. में वर्तमान आबंटन 75%, जबकि सैंसेक्स ई.टी.एफ. में 25% है।

प्रश्न 8: क.भ.नि.सं. (क.भ.नि.सं.) द्वारा एक्सचेंज ट्रेडेड निधि (ई.टी.एफ.) में निवेश कुल राशि तथा उससे प्राप्त रिटर्न?

उत्तर**:** 28 फरवरी, 2018 तक, **ई.टी.एफ. में** कुल 41,967.51/- करोड़ रूपए का निवेश किया गया तथा निवेश पर एबसल्यूट रिटर्न 16.95% था।

प्रश्न 9: क.भ.नि.सं. द्वारा सी.पी.एस.ई. तथा भारत 22 ई.टी.एफ. में निवेशित कुल राशि?

उत्तर 28th फरवरी, 2018, क.भ.नि.सं. ने सी.पी.एस.ई., ई.टी.एफ. में 1807.81 करोड़ रूपए तथा भारत 22 ई.टी.एफ. में 2024.75 करोड़ रूपए का निवेश किया।

प्रश्न 10: पूंजी बाजार में निवेश के परिणामस्वरूप अंशदाताओं को कितना लाभ मिलेगा ?

उत्तर क.भ.नि.सं. निफ्टी और सेंसेक्स ईटीएफ में निवेश कर रहा है। अत: निफ्टी और सेंसेक्स इंडेक्स से रिटर्न के रूप दर्शाई गई पूंजी, बाजार में अर्जित रिटर्न अंशदाताओं को मिलेगा.

प्रश्न 11: क्या ऐसे निवेश से अर्जित लाभांश को लाभार्थियों के खाते में जमा करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो इसका विवरण दें?

उत्तर अर्जित लाभांश ईटीएफ के निवेश परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) का हिस्सा बन जाता है तथा इसलिए कर्मचारियों के कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के खाते में जोड़ा जाता है। लाभार्थियों को लाभ हस्तांतरण करने के तरीके की जांच चल रही है।

प्रश्न 12: इक्विटी से जुड़े निवेश के अनुपात को बढ़ाने से पहले रिटर्न बढ़ाने के लिए ईटीएफ प्रतिभूतियों तथा राज्य ऋणों में निवेश परिसमापन के लिए कोई बाहर्गमन नहीं अपनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं।

उत्तर: बैठक में केंद्रीय बोर्ड दिनांक 23.11.2017 को आयोजित अपनी 219वीं बैठक में कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 में ईटीएफ में किए गए निवेशों के परिसमापन के लिए निवेश पद्धति का अनुमोदन किया। उक्त नीति के कार्यान्वयन के लिए विनियमों में संशोधन की जांच चल रही है ।

प्रश्न 13: क.भ.नि.सं. की समग्र निधि का किस प्रकार निवेश किया जाता है?

उत्तर: क.भ.नि.सं. की निधि का निवेश, भारत सरकार द्वारा निर्धारित निवेश पद्धति तथा केंद्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा दिए गए निवेश दिशानिर्देश के अनुसार किया जाता है। क.भ.नि.सं. द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त पोर्टफोलियो प्रबंधकों द्वारा निधि का निवेश किया जाता है।

प्रश्न 14: क.भ.नि.सं. के वर्तमान ऋण पोर्टफोलियो प्रबंधक कौन हैं?

उत्तर: वर्तमान में पांच पोर्टफोलियो प्रबंधक हैं यथा :

क) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
ख) आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ डीलरशिप लिमिटेड
सी) रिलांयस कैपिटल एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड
डी) एचएसबीसी एसेट मैनेजमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
ङ) यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड

प्रश्न 15: क.भ.नि.सं. द्वारा वर्तमान में अपनाई जा रही निवेश पद्धति क्या है?

उत्तर: क.भ.नि.सं. द्वारा 23 अप्रैल, 2015 को श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा अधिसूचित निवेश पद्धति का पालन कर रहा है। संक्षेप में, पद्धति है:

श्रेणी	राशि
सरकारी प्रतिभूतियां, अन्य प्रतिभूतियां, जिसके मूल एवं जिन पर ब्याज के संबंध में केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार पूर्णत: तथा बिना किसी शर्त के गारंटी ले रखी है, अथवा ऐसे म्युचुअल फंडों की यूनिट जिनका गठन सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए समर्पित निधि के रूप में किया गया है तथा जिनका विनियमन प्रतिभूतियां तथा भारतीय विनियम बोर्ड द्वारा किया जाता है।	न्यूनतम 45% से 65% तक
बैंकों तथा लोक वित्त संस्थानों सहित कॉर्पोरेटों द्वारा जारी ऋण प्रतिभूतियां जिनकी परिपक्वता तीन साल से कम न हो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी सावधि जमा रसीदें जो एक वर्ष से से कम की न हों। पुनर्विमाण एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम और एशियाई विकास बैंक के संस्थानों द्वारा जारी रूपया बॉड्स, कम से कम तीन वर्ष की बकाया परिपक्कवता वाले।	न्यूनतम 25% से 45% तक
पूंजी बाजार के माध्यम जिनमें पूंजी बाजार म्यूचुअल फंड्स सम्मिलित हैं।	5% तक
इक्विटी एवं संबंधित निवेश	न्यूनतम 5% से 15% तक
एसेट बैक्ड, ट्रस्ट स्ट्रक्चर्ड तथा विविध निवेश	5% तक

प्रश्न 16: इक्विटी मार्केट में भविष्य निधि राशि के निवेश करने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा क्या तर्क दिए गए है?

उत्तर: वित्त मंत्रालय ने अपने अर्द्ध. पत्र संख्या 7/3/2007-पीआर (पार्ट.) दिनांक 5 जुलाई, 2010 के द्वारा यह विचार व्यक्त किया कि निवेश पद्धति 2008 का पालन करके, नई पेंशन प्रणाली 2008-09 के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए

14.82% का औसत निवेश रिटर्न सृजन पोर्टफोलियों प्रबंधकों द्वारा किया किया जा सकता है। दूसरी ओर, क.भ.नि. के कर्मचारियों को 2008-09 तथा 2009-10 के लिए 8.5% का रिटर्न दिया गया है, यह दर पिछले कई वर्षों से यही रही है।

प्रश्न 17: वित्त मंत्रालय के निवेश पद्धति 2015 को अपनाने के संबंध में केंद्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा क्या निर्णय लिया गया था?

उत्तर: वित्त मंत्रालय, भारत सरकार 02 मार्च, 2015 को अधिसूचित निवेश पद्धति को दिनांक 31.03.2015 को आयोजित केंद्रीय न्यासी बोर्ड, क.भ.नि. की 207वीं बैठक में प्रस्तुत किया गया, बोर्ड ने वित्त मंत्रालय की निवेश पद्धति के समान पद्धति को अपनाने की सिफारिश की। इसे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया।

प्रश्न 18: भविष्य निधि निवेश पर आय में वृद्धि के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर: सरकार ने प्रतिस्पर्धा एवं प्रोफेशनलिज्म के माध्यम से क.भ.नि.सं. के निवेश का सही प्रकार से प्रबंधन करने के लिए बहुत से निधि प्रबंधकों की नियुक्ति की है। वर्तमान में चार पोर्टफोलियो मैनेजर हैं:

(क) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
(ख) आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ डीलरशिप लिमिटेड
(ग) रिलांयस कैपिटल एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड
(घ) एचएसबीसी एसेट मैनेजमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
(ङ) यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड

साथ ही, केंद्रीय न्यासी बोर्ड निधि की सुरक्षा से समझौता किए बिना, निधि की आय में वृद्धि के लक्ष्य के साथ, समय-समय पर निवेश दिशा-निर्देशों में ढ़ील की सहमति देता है।

प्रश्न 19: पोर्टफोलियों प्रबंधकों का कार्यकाल क्या है?

उत्तर : पोर्टफोलियों प्रबंधकों का कार्यकाल दिनांक 01 जुलाई, 2015 से तीन वर्ष है।

प्रश्न 20: पोर्टफोलियों प्रबंधकों के द्वारा क्या रिटर्न प्रजनित किए गए हैं?

उत्त : नए पोर्टफोलियों प्रबंधकों में दिनांक 01.07.2015 से क.भ.नि.सं. की निधियों का प्रबंध आरंभ किया है। दिनांक 01.07.2015 से 28.02.2018 तक की अवधि के लिए नए निधि प्रबंधकों द्वारा प्रजनित रिटर्न निम्नानुसार दिए गए हैं :

पोर्टफोलियों प्रबंधक	दिनांक 01.07.2015 से 28.02.2018 तक जनरेट किए गए रिटर्न	
	बैंचमार्क (% में)	लाभ (% में)
यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	7.89	7.98
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	7.89	7.93
रिलांयस कैपिटल एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड	7.89	7.93
आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ डीलरशिप लिमिटेड	7.89	7.92
एचएसबीसी एसेट मैनेजमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	7.89	7.91
समग्र	7.89	7.93

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि पोर्टफोलियों प्रबंधकों द्वारा जनरेट किए गए रिटर्न, परामर्शदाता, मेसर्स क्राइसिल लिमिटेड द्वारा निर्धारित बेंचमार्क दर से उच्चतर है।

परिशिष्ट

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, **23** अप्रैल, **2015**

एस.ओ.1071 (ई). – कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 52 के उप पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 3450(ई).- दिनांक 21 नवम्बर, 2013 का अधिक्रमण करते हुए केंद्र सरकार एततद्वारा निदेश देती है कि निधि से संबंधित सभी बढ़ने वाली संवृद्धियों को निम्नलिखित पद्धति के अनुसार निवेश किया जाएगा -

श्रेणी	निवेश पद्धति	**निवेश की जाने वाली राशि का %**
(i)	**सरकारी प्रतिभूतियां एवं संबंधित निवेश** ए) सरकारी प्रतिभूतियां, बी) अन्य प्रतिभूतियां (प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) अधिनियम, 1956) की धारा 2 (एच) में परिभाषित प्रतिभूतियां) जिसका मूल तथा ब्याज पूर्णत: एवं बिना किसी शर्त के केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा गारंटीड होगा । प्रतिभूतियो की इस उप श्रेणी के अंतर्गत निवेशित पोर्टफोलियो निधि के कुल पोर्टफोलियों के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए । सी) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए प्रतिबद्ध निधि के रूप में म्युचुअल फंड के यूनिट स्थापित किए जाते हैं जिसे भारत के प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड द्वारा विनियमित किया जाता है बशर्ते कि ऐसे म्युचुअल फंड में निवेशित पोर्टफोलियों किसी भी समय निधि के कुल पोर्टफोलियों से 5% अधिक न हो तथा उनमें किए गए नया निवेश वर्ष में निवेशित अभिवृद्धि से 5% अधिक नहीं होना	**न्यूनतम 45% एवं 65% तक**

श्रेणी	निवेश पद्धति	**निवेश की जाने वाली राशि का %**
	चाहिए	
(ii)	**ऋण तंत्र एवं संबंधित निवेश** (ए) कॉरपोरेट निकायों द्वारा जारी सूचीबद्ध (अथवा नए मामले में सूचीबद्ध करने के लिए प्रस्तावित) ऋण प्रतिभूतियों, जिसमें बैंक एवं सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों (सार्वजनिक वित्तीय संस्थान कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 के अंतर्गत परिभाषित) जिसमें निवेश की तिथि से तीन वर्ष की अवधि का न्यूनतम अवशिष्ट परिपक्वता अवधि हो । (बी) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत अनुसूचित कमर्शियल बैंकों द्वारा जारी बेसल-।।। टियर-। बॉन्ड बशर्ते बॉन्ड के प्रारंभिक प्रस्ताव में निवेश केवल ऐसे टियर-। बॉन्ड में किया गया हो जो सूचीबद्ध करने हेतु प्रस्तावित हो । बशर्ते कि केवल सैकेंडरी मार्केट से अनुसूचित व्यावसायिक बैंक के ऐसे बॉन्डों में केवल तभी निवेश किया जाए जब ऐसे टियर-। बॉन्ड सूचीबद्ध हों तथा जिनमें नियमित रूप से कारोबार होता हो । किसी भी समय, इस उप श्रेणी में निवेशित कुल पोर्टफोलियों, निधि के कुल पोर्टफोलियों से 2 % अधिक न हो । प्रारंभिक प्रस्ताव में इस उप श्रेणी में कोई निवेश प्रारंभिक प्रस्ताव के 20% से अधिक न हो । साथ ही, किसी भी समय निधि द्वारा किसी विशेष बैंक के ऐसे टायर। बॉन्डों की औसत मूल्य उस बैंक द्वारा उस समय जारी ऐसे बॉन्डों के 20% से अधिक न हो । (सी) पुननिर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक की संस्थाओं, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम एवं एशियन विकास बैंक द्वारा जारी कम	न्यूनतम 20% तथा 45% तक

श्रेणी	निवेश पद्धति	निवेश की जाने वाली राशि का %
	से कम 3 वर्ष के लिए लंबित परिपक्वता वाले रूपये बॉन्ड (डी) सूचीबद्ध व्यावसायिक बैंकों द्वारा जारी एक वर्ष से कम अवधि के आवधिक जमा प्राप्तियां जो पिछले वर्षों में प्रकाशित वार्षिक रिपोर्टों के आधार पर निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती हैं, नियम के अंतर्गत प्रकाशित करना अपेक्षित है i. पिछले तीन वित्तीय वर्षों में लाभ दर्शाया हो; ii. 9% न्यूनतम कैपिटल टू रिस्क वेटेज परिसंपत्ति अनुपात बरकरार रखा हो अथवा जैसा कि वर्तमान भारतीय रिजर्व बैंक मानकों द्वारा अनिवार्य है, जो भी उच्च हो; iii. कुल अग्रिमों के 4% से अधिक गैर-सक्रिय परिसंपत्तियां न हो; iv. 200 करोड़ रूपये से कम न्यूनतम पूंजी न हो; ई) भारत के प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड द्वारा विनियमित ऋण म्युचुअल निधि की यूनिटें: बशर्ते कि वर्ष में निवेश अभिवृद्धियों के 5 % से अधिक ऋण म्युचुअल निधियों में ताजा निवेश न हो तथा उनमें निवेशित पोर्टफोलियों किसी भी समय निधि के कुल पोर्टफोलियों के 5 % से अधिक न हो । (एफ) इन्फ्रास्ट्रक्चर से संबंधित निम्नलिखित ऋण तंत्र : (i) आधारभूत ढांचे के विकास अथवा क्रियान्वयन अथवा कम लागत के आवास के निर्माण/वित्त पोषण में प्रमुख रूप से कार्यरत कार्पोरेट निकाय द्वारा जारी किए गए सूचीबद्ध (नये इश्यू के मामले में सूचीबद्ध करने के लिए प्रस्तावित) ऋण प्रतिभूतियां	

श्रेणी	निवेश पद्धति	निवेश की जाने वाली राशि का %
	इसके अतिरिक्त, इस श्रेणी में भारतीय रेलवे अथवा कोई भी कार्पोरेट निकाय जिसमें इसकी अधिकांश शेयरभागिता हो, द्वारा जारी प्रतिभूतियां भी सम्मिलित हैं । इस श्रेणी में सरकार के किसी प्राधिकरण द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियां भी शामिल हैं जो कि कार्पोरेट निकाय नहीं है और जिसका गठन केवल आधारभूत ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए किया गया है । यह भी स्पष्ट किया जाता है कि केन्द्र सरकार, रेलवे विभाग अथवा सरकार के किसी भी प्राधिकरण द्वारा आधारभूत ढांचे के व्यापार में कार्यरत किसी कार्पोरेट निकाय द्वारा जारी की गई किसी प्रतिभूति के लिए जारी किया गया "लैटर ऑफ कम्फर्ट" अथवा कोई भी सरंचनात्मक बाध्यता जो कि लैटर ऑफ कम्फर्ट में दी गई शर्तों के अनुरूप नहीं हो और ऊपर श्रेणी (i) (बी) के अंतर्गत अभिमुख प्रतिभूति के रूप में शामिल होने में असफल रहती है, उसे इस उप श्रेणी के अंतर्गत पात्र प्रतिभूति माना जाएगा । (ii) किसी भी अधिसूचित व्यावसायिक बैंक द्वारा वहन करने योग्य हाउसिंग तथा आधारभूत ढांचा बान्ड्स, जो कि उपर्युक्त श्रेणी (ii) (डी) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूर्ण करता हो । (iii) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित तथा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में कार्यरत आधारभूत ढांचा ऋण फंडों द्वारा जारी की गई सूचीबद्ध प्रतिभूतियां (या नए इश्यू के मामले में सूचीबद्ध करने के लिए प्रस्तावित । (iv) भारत के प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड द्वारा विनियमित तथा म्यूचुअल फंड के रूप में कार्यरत आधारभूत ढांचा ऋण फंडों द्वारा जारी किए गए सूचीबद्ध (नए इश्यू के मामले में सूचीबद्ध करने के	

श्रेणी	निवेश पद्धति	निवेश की जाने वाली राशि का %
	लिए प्रस्तावित) यूनिट्स । यह स्पष्ट किया जाता है, कि उपुर्यक्त उल्लिखित अपवादों को छोड़कर, इस उप श्रेणी (एफ) के लिए एक सैक्टर को भारत सरकार के आधारभूत ढांचें को सुमेलित मास्टर - लिस्ट के अनुसार आधारभूत ढांचे का भाग माना जाएगा । बशर्ते कि इस श्रेणी संख्या (ii) की उपश्रेणियों (ए), (बी) तथा (एफ) (i) से (iv) के अंतर्गत किया गया निवेश केवल उन्हीं प्रतिभूतियों में किया जाएगा अथवा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिवेश बोर्ड (साख रेटिंग एजेंसी) विनियम, 1999 के समक्ष पंजीकृत कम से कम दो साख रेटिंग एजेंसियों से लागू रेटिंग स्केल में जिनकी न्यूनतम एए रेटिंग अथवा उसके समकक्ष है । बशर्ते कि उप श्रेणी (एफ) (iii) के मामले में रेटिंग गैर बैकिंग वित्तीय कंपनी से संबद्ध हो और उप श्रेणी (एफ) (iv) के अंतर्गत रेटिंग निधि की योजना के निवेश ग्रेड से ऊपर रेट की गई पात्र प्रतिभूतियों में निवेश से संबद्ध हो। बशर्ते यह भी कि यदि प्रतिभूतियों/संस्थाओं को दो से अधिक रेटिंग एजेंसियों द्वारा रेट किया गया है तो सभी रेटिंग में दो न्यूनतम पर विचार किया जाएगा। बशर्ते यह भी कि इस श्रेणी के अंतर्गत निवेश के लिए न्यूनतम एए रेटिंग की आवश्यकता होगी, जैसा कि ऊपर विनिर्दिष्ट किया गया है, कि उन प्रतिभूतियों में निवेश की अनुमति होगी जिनमें निवेश ग्रेड रेटिंग एए से कम होगी और उस मामले में जब ऐसी प्रतिभूतियों में चूक का जोखिम भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत जारी क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स (सी.डी.एस.एस.) से कवर किया गया हो तथा अंडरलाईंग प्रतिभूतियों के साथ खरीदा गया हो । इस प्रकार के स्वैप्स की खरीद राशि को इस श्रेणी के अंतर्गत किया गया निवेश माना जाएगा ।	

श्रेणी	निवेश पद्धति	**निवेश की जाने वाली राशि का %**
	उप श्रेणी (सी) के अंतर्गत घरेलू अथवा अंतर्राष्ट्रीय साख एजेंसी द्वारा एए की एकल रेटिंग स्वीकार्य होगी । यह स्पष्ट किया जाता है कि ऋण प्रतिभूतियां श्रेणी (i) (बी) के अंतर्गत कवर इस श्रेणी (ii) से बाहर हैं ।	
(iii)	**लघु अवधि ऋण इन्स्ट्रूमेंट्स तथा संबंधित निवेश** (ए) मुद्रा बाजार इन्स्ट्रूमेंट्स: बशर्ते कि कॉपोरेट निकाय द्वारा जारी किए गए वाणिज्यिक दस्तावेज में निवेश केवल उन इन्स्ट्रूमेंट्स में किया जाएगा जिनकी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के समक्ष पंजीकृत न्यूनतम दो साख रेटिंग एजेंसियों से न्यूनतम रेटिंग A1+ है । बशर्ते कि यदि वाणिज्यिक दस्तावेज की रेंटिग दो से अधिक रेटिंग एजेंसी द्वारा की गई है तो दो न्यूनतम रेटिंग को माना जाएगा । बशर्ते कि अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी एक वर्ष तक की अवधि के जमा प्रमाणपत्र की इस उप श्रेणी में निवेश के लिए बैंक को उपर्युक्त श्रेणी (ii) (डी) में उल्लिखित सभी शर्तों को पूर्ण करना होगा । (बी) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा विनियमित तरल म्यूचुअल फंडों के यूनिट्स । (सी) अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक जो कि उपर्युक्त श्रेणी (ii) (डी) में उल्लिखित सभी शर्तों को पूर्ण करते हैं के द्वारा जारी एक वर्ष तक की अवधि के लिए सावधि जमा प्राप्तियां।	**5% तक**

श्रेणी	निवेश पद्धति	**निवेश की जाने वाली राशि का %**
(iv)	**इक्विटी एवं संबंधित निवेश** बम्बई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) अथवा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में सूचीबद्ध निगमित संकायों के शेयर, जिनमें:- (i) निवेश की तारीख तक कम से कम 5000 करोड़ रूपये तक की राशि का बाजार पूंजीकरण; एवं (ii) दोनों में से किसी एक स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार, विद्यमान शेयरों के साथ व्युत्पादित (ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा विनियमित ऐसे म्यूचुअल फंडों की इकाइयां, जिनका बीएसई अथवा एनएसई में सूचीबद्ध निगमित संकायों के शेयरों में कम से कम 65% का निवेश हो। बशर्ते कि ऐसे म्यूचुअल फंडों में निवेश की गयी सकल राशि किसी भी समय कुल कारोबार राशि के 5% से अधिक न हो तथा ऐसे म्यूचुअल फंडों में निवेश की गयी नयी राशि भी वर्ष के दौरान कारोबार में वृद्धि के 5% से अधिक न हों। (ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा विनियमित एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफएस)/इन्डेक्स फंड वस्तुत: बीएसई सेंसेक्स इन्डेक्स अथवा एनएसई निफ्टी 50 इंडेक्स में से किसी एक के कारोबार को ही दर्शाते हैं। (घ) सेबी विनियमित म्यूचुअल फंड द्वारा जारी ईटीएफएस विशेष रूप से निगमित संस्थाओं में भारत सरकार की शेयरधारिता के विनिवेश हेतु तैयार किये गये हैं। (ड.) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा विनियमित एक्सचेंज कारोबार व्युत्पन्नक जो किसी भी अनुमेय सूचीबद्ध स्टॉक अथवा इंडेक्स में केवल बचाव हेतु शामिल हैं। बशर्ते कि करार की शर्तों के अनुसार व्युत्पन्नकों में निवेश की गई राशि उक्त उपवर्ग (क) से (घ) में निवेश की गयी कुल राशि के 5% से अधिक न हो।	**न्यूनतम 5% और 15% तक**

श्रेणी	निवेश पद्धति	**निवेश की जाने वाली राशि का %**
(v)	**समर्थित परिसम्पत्तियां, गठित ट्रस्ट एवं विविध निवेश** (क) वाणिज्यिक बंधक आधारित प्रतिभूतियां अथवा आवासीय बंधक आधारित प्रतिभूतियां (ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड द्वारा विनियमित रियल एस्टेट निवेश ट्रस्टों द्वारा जारी इकाइयां (ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड द्वारा विनियमित परिसम्पत्ति समर्थित प्रतिभूतियां (घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा विनियमित मूलभूत निवेश ट्रस्टों की इकाइयां बशर्ते किवर्ग सं. (v) के तहत यह निवेश केवल सूचीबद्ध लिखतों अथवा सूचीबद्ध किए जाने हेतु प्रस्तावित नये निर्गमों में हो। बशर्ते कि इसके अलावा यह निवेश इस वर्ग के तहत केवल ऐसी प्रतिभूतियों में ही किया जाएगा जिन्हें भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (क्रेडिट रेटिंग एजेंसी) विनियमन, 1999 के तहत प्रतिभूति एवं विनियमय बोर्ड द्वारा पंजीकृत कम से कम दो क्रेडिट रेटिंग एजेन्सियों द्वारा लागू रेटिंग के पैमाने पर न्यूनतम एए अथवा समकक्ष रेटिंग प्राप्त हो। बशर्ते और कि यदि प्रतिभूतियों/कम्पनियों की रेटिंग दो से अधिक एजेन्सियों द्वारा की गयी है तो न्यूनतम रेटिंग पर विचार किया जाएगा।	**5% तक**

2. बढ़ी हुई नयी निधि को निवेश संरचना में विनिर्दिष्ट अनुमेय वर्गों में ही निवेश किया जाएगा और यह निवेश प्रत्येक वर्ग में निवेश की गयी राशि की विनिर्दिष्ट अधिकतम अनुमेय प्रतिशतता के अनुरूप ही होगा। इसके साथ ही अनुमेय निवेशों के विविध उप वर्गों पर लागू अन्य प्रतिबंधों का भी अनुपालन किया जाएगा।

3. निधियों में नए संवर्धन पूर्व में अनिवेशित निधियों तथा प्राप्तियों जैसे निधियों में अंशदान, लाभांश/ब्याज/कमीशन, पूर्व निवेशों की परिपक्वता राशियों का योग होगा जो कि वित्त वर्ष के दौरान बाध्यकारी व्यय/निकास द्वारा कम हो गया हो।

4. विक्रय विकल्प की प्रक्रिया, अवधि अथवा आस्ति स्विच अथवा परिपक्वता से पूर्व किसी आस्ति के व्यापार से प्राप्त होने वाली आय का निवेश उपर वर्णित की गई अनुमत श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी में उस तरीके से ताकि किसी समय पर श्रेणी के अंतर्गत आस्तियों का प्रतिशत उस श्रेणी के लिए विनिर्धारित अधिकतम सीमा तथा साथ ही उप-श्रेणियों के लिए विनिर्धारित सीमा, यदि हो, से अधिक नहीं होना चाहिए। तथापि, आरबीआई द्वारा अधिदेशित किसी सरकारी ऋण स्विच के कारण आस्ति स्विच प्रतिबंध के तहत कवर नहीं होगा।

5. खरीद-बिक्री अनुपात (वर्ष में खरीदी-बेची गयी प्रतिभूतियों की कीमत/वर्ष के प्रारम्भ तथा अंत में पोर्टफोलियो की औसत कीमत) दो से अधिक नहीं होना चाहिए।

6. यदि उपर वर्णित लिखतों में से किसी एक की रेटिंग उस लिखत को क्रय करते समय उसमें निवेश हेतु विनिर्धारित न्यूनतम अनुमत निवेश ग्रेड से गिर जाती है, जिसकी पुष्टि किसी ऋण रेटिंग एजेंसी द्वारा की गयी हो, तो अभिदाताओं के सर्वोत्तम हित वाले तरीके में यथा उचित विकास के विकल्प पर विचार करके उसका उपयोग किया जाएगा।

7. इन दिशानिर्देशों के लागू होने पर समय से और उचित नियोजन के माध्यम से प्रत्येक आगामी वित्त वर्ष के लिए ऊपर विनिर्धारित निवेश पद्धति अलग-अलग हासिल किया जाएगा।

8. निधियों का निवेश केवल लाभार्थियों के लाभ को ध्यान में रखते हुए, नजदीक ही किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, किसी वित्त वर्ष में नए संवर्धनों के 5% से अधिक निवेश (यहां वर्णित ऐसी कंपनियों/संगठनों में समग्र) किसी कंपनी/संगठन की प्रतिभूतियों अथवा किसी कंपनी/संगठन जिसमें ऐसी कंपनी/संगठन पहली कंपनी/संगठन के कर्मचारियों के लाभ हेतु सृजित निधि द्वारा जारी प्रतिभूतियों के 10% से अधिक धारण करती है तथा ऐसे निवेशों का कुल आकार किसी भी समय निधि के कुल पोर्टफोलियो से 5% से अधिक नहीं होगा। ऐसे मामलों में देय सावधानी हेतु विनिर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से अनुपालन करना चाहिए तथा विचारार्थ प्रतिभूतियां इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत अनुमत निवेशों के भीतर होनी चाहिए।

9.

i. विनिर्धारित पद्धति के भीतर किसी न्यास/निधि की निधियों का विवेकपूर्ण निवेश/निधिन्यासियों का प्रत्ययी उत्तरदायित्व है तथा उसका सावधानीपूर्वक निर्वहन किया जाना आवश्यक है। तदनुसार निधियों के निवेश हेतु लिए गए निवेश निर्णयों हेतु न्यासी उत्तरदायी होंगे।

ii. निधि के प्रबंधन की लागत को नियंत्रित एवं वाजिब बनाने हेतु न्यासी उचित कदम उठाएंगे।

iii. न्यास यह सुनिश्चित करेगा कि निवेश की प्रक्रिया जवाबदेह तथा पारदर्शी हो।

iv. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निधि द्वारा किसी विशेष आस्ति में निवेश करते समय तथा उस अवधि के दौरान जब तक उसे निधि द्वारा धारित किया जाता है किसी विशेष आस्ति से हुड़े हुए जोखिमों का आकलन करते समय उचित सावधानी बरती गयी है। इस अधिसूचना में रेटिंग की यथा अधिदेशित आवश्यकता का उद्देश्य निवेशों से जुड़े जोखिम को केवल व्यापक सामान्य स्तर तक सीमित करना है। तदनुसार, किसी भी प्रकार से यह नहीं समझा जाना चाहिए कि यह न्यूनतम विनिर्धारित रेटिंग को पूरा करने वाली किसी आस्ति में निवेश करने को स्वीकृति देती है अथवा निधि/न्यास द्वारा विनिर्धारित उचित सावधानी प्रक्रिया के लिए अनुकल्प है।

v. न्यास/निधि को किसी एक कंपनी, कारपोरेट समूह अथवा क्षेत्र में निवेश के केंद्रीकरण की रोकथाम हेतु विवेकपूर्ण दिशानिर्देश अपनाने अथवा लागू करने चाहिए।

10. यदि अपनी आस्तियों के प्रबंधन हेतु निधि ने पेशेवर निधि/आस्ति प्रबंधकों की सेवाएं ली हों, जिसे प्रत्येक लेन-देन की कीमत के आधार भुगतान किया जा रहा हो, उनके द्वारा, वर्णित श्रेणियों में से किसी एक म्यूचुअल फंड अथवा ईटीएफ अथवा इंडेक्स निधियों में निवेश की गयी निधियों की लागत उनको देय भुगतान की गणना करके पहले ही घटा दी जाएगी ताकि लागत के दोहरेपन से बचा जा सके। यह सुनिश्चित करने के लिए उचित सावधानी बरती जाएगी कि देय शुल्क को बढ़ाने के उद्देश्य से एक ही निवेश को बार-बार न कर दिया जाए। इस संबंध में श्रेणी III लिखतों में निवेशों के लिए कमीशन को विशेष रूप से सावधानीपूर्वक विनियमित किया जाएगा।

फाइल सं. जी-20031/1/2007 /एस.एस.-II (पार्ट)

(मनीष कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव